

क्रमांक 10/न4-12/2002 शि10-100:

सेकेन्डी, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग, विहार

प्रेषक

श्री एम0 दास

विशेष निदेशांक शि10 शि10 ।

सेवा में,

सचिव,

सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डी एजुकेशन,
शिक्षा केन्द्र, कम्युनिटी सेन्टर, प्रीत विहार,
विकास मार्ग, नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक 28-2-04

विषय:- राज्य के निजी विद्यालयों को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डी एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गति करने के संबंध में ।

महाराज,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि दिनांक 30.12.2003 को निजी विद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गति किए जाने के संबंध में उच्चस्तरीय समिति की बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित विद्यालयों को सी0वी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता/मान्यता इस शास्त्र के साथ निर्गति करने का निर्णय लिया गया कि उन्हें सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार के विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के समकक्ष वेतनादि का भुगतान विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को करना होगा :-

1. शाताब्दी पब्लिक स्कूल, कटारौ हिल रोड, गया
2. ए0ए0एम0 चिल्ड्रेन्स एकेडमी, कटिहार
3. ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, पहाड़गंज, कैन्ट एरिया, गया
4. तौहीद एकेडमी, तौहीदनगर, पश्चिम पाली, किशनगंज
5. न्यू एरा पब्लिक स्कूल, छोटी राजवल्ली, पीपलपाती रोड, मुर्गेर
6. डी0ए0भी0 पब्लिक स्कूल, डिहरी, रोहतास
7. डी0ए0भी0 पब्लिक स्कूल, शोरघाटी, गया
8. एस0आर0डी0ए0भी0 पब्लिक स्कूल, पूर्णिया
9. सीताराम डी0ए0भी0 पब्लिक स्कूल, सीतामढ़ी
10. कमला नेहरु शिक्षा विहार उच्च विद्यालय, सदाकत आश्रम, पटना
11. माँ मैत्रायिणी योगिनी सेकेन्डी स्कूल, गुण्डी, भोजपुर, आरा

Principal

Maa Maitrayini Yogini Secondary School
Gundi, Bhojpur (Ara) Bihar

प्रबंधक
माँ मैत्रायिणी योगिनी सेकेन्डी स्कूल
गुण्डी भोजपुर (आरा) बिहार

सी0वी0एस0ई0

12.

स्कूल ऑफ क्विंटिन लर्निंग, नरगट, दानापुर, पटना.

2- इसकी सूचना संबंधित विद्यालय के प्राचार्य को दी जा रही है।

3- यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन,

[Signature]

रमो दास

विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

ज्ञापक

108 पटना, दिनांक 28-2-04

प्रतिलिपि संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित विद्यालय के प्राचार्य को सूचना एवं आवश्यक कार्यादेश प्रेषित।

2. शैक्षिक गुणावत्ता को सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा प्रतिवर्ष कम-से-एक बार विद्यालय का निरीक्षण किया जायेगा।

3. निम्नांकित परिस्थितियों में विद्यालय को निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त/वापस लेने की कार्रवाई सरकार द्वारा की जा सकती है:-

क. विद्यालय द्वारा विद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों को राज्य सरकार के विद्यालय के कर्मियों के समकक्ष वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान नहीं किया जा रहा है अथवा भुगतान करने में अधिक विलम्ब किया जा रहा हो,

ख. अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए समर्पित कागजात एवं अभिलेख जाली पाये जाने अथवा वस्तुस्थिति से भिन्न होने पर,

ग. विद्यालय में वित्तीय अनियमितता की जा रही हो अथवा जिस मद्दत के लिए राशि की व्यवस्था हो उसका दूसरे मद्दत में व्यय किया जा रहा हो।

घ. विद्यालय ऐसी गतिविधि में संलग्न हो जो राज्य के हित एवं राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी नियमों के विरुद्ध हो एवं ऐसी कार्रवाई की जा रही हो, जिससे समाज के विभिन्न सहायकों के बीच कटुता पैदा हो,

च. सी०बी०एस०ई० मापदंड के अनुसम भवनों में सी०बी०एस०ई० मापदंड के अनुसम छात्रों की संख्या निर्धारित नहीं किए जाने पर।

[Signature] 28-2-04
रमो दास

विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

ज्ञापक

108

पटना, दिनांक

28-2-04

प्रतिलिपि सचिव/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार को सूचना प्रेषित।

विशेष निदेशक, मा० शि०

ज्ञापक

108

पटना, दिनांक

28-2-04

प्रतिलिपि माननीय मंत्री/राज्य मंत्री, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना को सूचना प्रेषित।

[Signature]
Principal

Maa Maitrayini Yogini Secondary School
Gundi, Bhojpur (Ara) Bihar

विशेष निदेशक, मा० शि०

प्रबंधक
माँ मैत्रायिनी योगिनी सेकेण्डरी स्कूल
गुण्डी भोजपुर (आरा) बिहार